

(कायदा ९६ (१) के मुताबिक)

नकल का दर्खास्त

१	दर्खास्त की तारीख	
२	ऑफिस का नाम जहाँ दस्तावेज रजिस्ट्री या दाखिल हुआ था।	
३	कौन सप्तर के बाबत तलाशी या मुआईना होगा।	
४	सायाल का नाम जो सफूनात	
५	सायाल का दस्तावेज में जो हक रहे नाकिर या मोकिरसय का मुखतार या कायम मोकाम।	
६	इन्वेन्स का नम्बर (१, २, ३ या ४) जिसकी तलाशी की जायगी।	
७	उन आवधिकियों या जगहों का नाम जिनके बाबत तलाशी होगी।	
८	किताब, रजिस्टर या तब्यी (फरिक्केन के नाम के साथ) का बयान जिसका मुआईना किया जायगा अगर मुआईना किताब १, ३ या ४ के निम्नत हो तो दस्तावेज का नम्बर और जिल्द का नम्बर भी।	
९	तलाशी	तायसद की त्त तालिमी या मुआईना
१०	अथ यह दस्तावेज वास्ते नकल के दस्तावेज की रजिस्ट्री पूरी होने के पहले दी जाती है।	
११	तारीख और नम्बर पहिले दरखास्त का जो वास्ते तलाशी या मुआईना को दी गई थी।	
१२	जिस दस्तावेज का या जासा नकल का दरकार है उसके मोकिरन या मोकिरन अलाहिम का नाम।	
१३	रजिस्ट्री की हुई दस्तावेज की हालत में किताब जिल्द और दस्तावेज का नम्बर और सभे जिसमें नकल किया गया हो इसके सिवाय किसी दूसरे दस्तावेज या रेकार्डस की हालत में काफ़ी बयान जिससे पता ले।	
१४	मुस्ताजात	जायसद की त्त नकल जो दिया गया।
		मागुली
		तायदाद नकल
		स्टाम्प की कीमत
		काटिज कागज की तायदाद जो दाखिल किया गया।
		(क) (ख) (ग)
		१५